Euthanasia and the Right to Die with Dignity in India

भारत में इच्छामृत्यु और सम्मान के साथ मरने का अधिकार

इज्ज़त के साथ **मरने का अधिकार** इस सिद्धांत को बताता है कि गंभीर रूप से बीमार लोगों को अपनी ज़िंदगी के आखिरी फ़ैसलों पर आज़ादी होनी चाहिए, जिसमें यह तय करना भी शामिल है कि उन्हें कितना दर्द और तकलीफ़ सहनी है। यूथेनेशिया, जिसका मतलब है "अच्छी मौत," इस अधिकार को पाने का एक अहम तरीका है।

दया-मृत्यु (Euthanasia) के प्रकार

सक्रिय :जीवन समाप्त करने के लिए जानबूझकर कोई क्रिया करना (जैसे घातक दवा देना)।

निष्क्रिय :जीवन रक्षक उपकरण (वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब आदि) हटाना या न लगाना, ताकि प्राकृतिक मृत्यु हो सके।

भारत में कानूनी ढाँचा

१. **अरुणा शानबाग मामला (2011):**
उच्च न्यायालय की निगरानी में स्थायी वनस्पतिक अवस्था (Persistent Vegetative State) वाले मरीजों के लिए निष्क्रिय दया-मृत्यु की अनुमति दी गई।

२. **कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018):**सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) में "गरिमा के साथ मरने का अधिकार" भी शामिल है।
इसने निष्क्रिय दया-मृत्यु को वैध किया और *लिविंग विल* (Living Will) की अनुमति दी—जिसमें व्यक्ति अपने अंतिम समय की चिकित्सा इच्छाएँ पहले से लिख सकता है।
इसका क्रियान्वयन न्यायिक और चिकित्सकीय पर्यवेक्षण में होगा।

३. **हरीश राणा मामला (2024):**स्पष्ट किया कि **Ryles Tube** जैसे गैर-जीवन-रक्षक उपकरणों को हटाना *जीवन रक्षक प्रणाली हटाना* नहीं माना जाएगा।

४. **कानून आयोग की रिपोर्टें:**

- **196वीं रिपोर्ट (2006):**मरीज के निर्देश अनुसार चिकित्सा उपचार रोकना या हटाना, चिकित्सक के पेशेवर कर्तव्य का उल्लंघन नहीं है।
- **241वीं रिपोर्ट (2008):**निष्क्रिय दया-मृत्यु पर कानून बनाने का प्रस्ताव दिया और स्पष्ट कानूनी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता बताई।

The **Right to Die with Dignity** refers to the principle that terminally ill individuals should have autonomy over their end-of-life decisions, including determining the pain and suffering they endure. Euthanasia, meaning "good death," is a key means to realise this right.

Types of Euthanasia:

- **Active:** Deliberate action to end life (e.g., administering lethal drugs). Illegal in India.
- **Passive:** Withholding or withdrawing life support (ventilators, feeding tubes) to allow natural death. Legal under strict conditions.

Legal Framework in India

1. Aruna Shanbaug Case (2011): Permitted passive euthanasia for patients in a persistent vegetative state under High Court supervision.
2. Common Cause vs Union of India (2018): The Supreme Court held that Article 21 (Right to Life) includes the "Right to Die with Dignity." It legalized passive euthanasia and allowed living wills, specifying end-of-life preferences, to be executed under judicial and medical supervision.
3. Harish Rana Case (2024): Clarified that withdrawal of non-life-sustaining devices like a Ryles tube does not qualify as life support.
4. Law Commission Reports:
    - 196th Report (2006): Withholding or withdrawing treatment per patient instruction is not a breach of professional duty.
    - 241st Report (2008): Proposed legislation on passive euthanasia and emphasized the need for clear legal safeguards.

मुख्य हितधारक और नैतिक मुद्दे

1. अंतिम अवस्था (Terminally Ill) के मरीज और उनके परिवार: असहनीय शारीरिक दर्द और भावनात्मक/आर्थिक बोझ का सामना करते हैं।परिवार पीड़ा समाप्त करने की इच्छा और शोक से निपटने के बीच उलझे रहते हैं।

2. स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (Healthcare Providers): हिप्पोक्रेटिक ओथ ("किसी को हानि न पहुँचाओ") से बंधे होते हैं।जीवन बचाने की जिम्मेदारी और मरीज की स्वायत्तता का सम्मान करने के बीच नैतिक द्वंद्व में रहते हैं।

3. समाज और नीति निर्माता (Society and Policymakers):कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होता है। नैतिक मानदंडों और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

नैतिक दुविधाएँ (Ethical Dilemmas)

जीवन की गुणवत्ता बनाम जीवन की पवित्रता:जब गरिमा या आराम समाप्त हो जाए तो क्या जीवन अर्थपूर्ण रह जाता है?

स्वायत्तता बनाम संवैधानिक नैतिकता:क्या व्यक्तिगत चुनाव कानूनी या नैतिक मानकों से ऊपर होना चाहिए?

पैलिएटिव केयर बनाम न्याय:जब उपचार पीड़ा कम नहीं कर पाता, तो क्या गरिमा के साथ मृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए?

अहानिकरता (Non-maleficence) बनाम डबल इफ़ेक्ट सिद्धांत:क्या डॉक्टर दर्द कम करने के लिए ऐसा उपचार दे सकते हैं जिससे जीवन छोटा हो जाए?

समर्थन में तर्क (Arguments in Favor)

स्वायत्तता का सम्मान:सक्षम व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए(उदाहरण: महाभारत में भीष्म पितामह, सोक्रेटीस)।

पीड़ा से मुक्ति:अंतिम अवस्था वाले मरीज लंबी और अपमानजनक पीड़ा से बच सकते हैं।

न्याय और आर्थिक राहत:मरीज और परिवार दोनों पर भावनात्मक व आर्थिक बोझ कम होता है।

चिकित्सकीय निरर्थकता (Medical Futility):जब उपचार से कोई वास्तविक सुधार संभव नहीं, तब उसे जारी रखना अधिक हानि पहुँचा सकता है।

अंगदान का अवसर:कई देशों में दया-मृत्यु के साथ स्वैच्छिक अंगदान की अनुमति होती है।

विरोध में तर्क

जीवन की पवित्रता:जीवन अपने आप में मूल्यवान है; किसी का जीवन समाप्त करना नैतिक रूप से गलत माना जाता है।
(बौद्ध धर्म और कांट के नैतिक सिद्धांत भी इसका समर्थन करते हैं।)

दुरुपयोग की संभावना :कमजोर या निर्भर मरीजों पर दबाव डाला जा सकता है।चिकित्सक भी अपनी त्रुटियों को छिपाने के लिए दया-मृत्यु का दुरुपयोग कर सकते हैं।

धार्मिक और नैतिक आपत्तिया):कई धार्मिक परंपराएँ जीवन को पवित्र मानती हैं और इसे कृत्रिम रूप से समाप्त करने का विरोध करती हैं।

Key Stakeholders and Ethical Issues

1. **Terminally ill patients and families:** Face unbearable physical pain and emotional/financial distress. Families struggle between relieving suffering and coping with grief.
2. **Healthcare providers:** Bound by the Hippocratic Oath ("do no harm") and face moral dilemmas between preserving life and respecting patient autonomy.
3. **Society and policymakers:** Must balance protection of vulnerable individuals with the right to personal autonomy, while ensuring ethical norms and safeguards.

Ethical Dilemmas

- **Quality of Life vs Sanctity of Life:** Is life meaningful when dignity or comfort is lost?
- Autonomy vs Constitutional Morality: Should personal choice override legal or moral norms?
- **Palliative Care vs Justice:** When care fails, should dignified death be permitted?
- **Non-maleficence vs Principle of Double Effect:** Can doctors alleviate pain even if it shortens life?

Arguments in Favor

- **Respect for Autonomy:** Competent individuals should decide their own death (e.g., Bhishma Pitamah in Mahabharata, Socrates).
- **Relief from Suffering:** Terminally ill patients avoid prolonged pain and indignity.
- **Justice and Financial Relief:** Reduces prolonged emotional and economic strain on patients and families.
- **Medical Futility:** Continuing treatment with no real chance of recovery may cause more harm.
- **Organ Donation:** In some countries, euthanasia is combined with consent for organ donation.

Arguments Against

- Sanctity of Life: Life has intrinsic value; killing is morally impermissible (supported by Buddhism, Kantian ethics).
- Potential for Misuse: Vulnerable patients may be coerced; physicians could misuse euthanasia to cover errors.
- Religious and Moral Concerns: Many traditions consider life sacred.

पैलिएटिव केयर :दर्द-नियंत्रण और देखभाल में प्रगति के कारण दया-मृत्यु की आवश्यकता कम हो सकती है।

स्लिपरी स्लोप: यदि दया-मृत्यु स्वीकार की जाती है, तो समय के साथ यह कम गंभीर स्थितियों में भी लागू होने लग सकती है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है।

आगे की राह

पैलिएटिव केयर और अंतिम समय की चिकित्सा सहायता को मजबूत करना:ताकि मरीजों की पीड़ा कम हो और दया-मृत्यु की आवश्यकता न्यूनतम रह जाए।

कड़े सुरक्षा उपाय लागू करना:अस्पताल का नियंत्रित वातावरण, कई चिकित्सकों का प्रमाणन, और न्यायिक निगरानी सुनिश्चित की जाए।

एडवांस डायरेक्टिव / लिविंग विल को बढ़ावा देना:ताकि मरीज अपनी अंतिम चिकित्सा इच्छाएँ पहले से दर्ज कर सकें।

दुरुपयोग रोकने के उपाय:मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, काउंसलिंग, और अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि लागू करना।

केयर एथिक्स अप्रोच:सहानुभूति और मरीज के वास्तविक अनुभवों को समझने पर ध्यान देना—विशेषकर नाबालिगों और मानसिक रूप से कमजोर मरीजों के मामलों में।

"मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अंतिम अवस्था की बीमारी से पीड़ित हैं और अत्यधिक पीड़ा झेल रहे हैं, उन्हें अपने जीवन को समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और उनकी सहायता करने वालों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।"

स्टीफन हॉकिंग

- **Palliative Care:** Advances in care may reduce need for euthanasia.
- **Slippery Slope:** Acceptance for less severe conditions could increase over time.

Way Forward

- **Strengthen palliative care** and end-of-life support.
- **Strict safeguards:** Hospital setting, certification by multiple physicians, judicial oversight.
- **Advance directives / living wills** to reflect patient preferences.
- **Prevent misuse:** Psychological evaluation, counseling, and mandatory wait periods.
- **Care Ethics Approach:** Focus on empathy and understanding lived experiences, especially for minors and mentally vulnerable patients.

"I believe those who suffer from a terminal illness and experience great pain should have the right to choose to end their own life, and those who assist them should be free from prosecution." –

Stephen Hawking

G20 Summit 2025 (Johannesburg)
जी20 शिखर सम्मेलन 2025 (जोहान्सबर्ग)

1. **20वां G20 लीडर्स समिट (2025) जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ, जिससे यह अफ्रीका की धरती पर आयोजित पहला G20 समिट बन गया।**
2. **"एकजुटता, समानता, स्थिरता" थीम के तहत, समिट में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर ज़ोर दिया गया और आम सहमति से G20 जोहान्सबर्ग लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाया गया।**

1. **The 20th G20 Leaders' Summit (2025) was held in Johannesburg, South Africa, making it the first-ever G20 Summit hosted on African soil.**
2. **Under the theme "Solidarity, Equality, Sustainability," the summit foregrounded Global South priorities and adopted the G20 Johannesburg Leaders' Declaration by consensus.**

G20 क्या है?

ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी (G20) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का विश्व का प्रमुख मंच है। इसमें **19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ + यूरोपीय संघ (EU) + अफ्रीकी संघ (AU)** शामिल हैं। यह समूह सामूहिक रूप से विश्व का—

- **85% वैश्विक GDP**
- **75% वैश्विक व्यापार**
- **2/3 वैश्विक जनसंख्या**

का प्रतिनिधित्व करता है।

G20 का कार्यक्षेत्र केवल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अस्थिरता के समाधान तक सीमित नहीं है; यह अब **व्यापार, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सतत विकास, ऊर्जा संक्रमण, ऋण स्थिरता, और बहुपक्षीय शासन सुधार** से जुड़े वैश्विक मानकों को आकार देता है।

2025 में, अफ्रीका में पहली बार **G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित** किया गया, जो **ग्लोबल साउथ नेतृत्व** की ओर एक बड़ा कदम माना गया।

G20 का विकास (Evolution of the G20)

- **एशियाई वित्तीय संकट (1997–98)** के बाद, 1999 में इसे **वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक** के रूप में स्थापित किया गया।
- यह इसलिए बनाया गया क्योंकि **G7 अब उभरती अर्थव्यवस्थाओं** (चीन, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया आदि) के आर्थिक वजन को प्रतिबिंबित नहीं करता था।
- **वैश्विक वित्तीय संकट (GFC) 2008** के दौरान G20 को **राष्ट्राध्यक्ष/प्रधानमंत्री स्तर** तक उन्नत किया गया।

2008 वॉशिंगटन और **2009 लंदन** शिखर सम्मेलनों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जैसे—

- o वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रोत्साहन का समन्वय
- o बैंकिंग सुधार
- o व्यापार/निवेश संरक्षणवाद को रोकना

इन प्रयासों ने G20 को वैश्विक अर्थव्यवस्था का **"स्टियरिंग कमिटी" (मार्गदर्शक निकाय)** के रूप में स्थापित किया।

सदस्यता और संरचना

सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके, यूएसए, **यूरोपीय संघ (EU)** और **अफ्रीकी संघ (AU)**।

अध्यक्षता (Presidency):हर वर्ष सदस्य देशों के बीच **रोटेशन के आधार पर बदलती है**।जिस देश के पास अध्यक्षता होती है, वह **G20 की एजेंडा और प्राथमिकताओं** को तय करता है।

ट्रोइका प्रणाली (Troika System):G20 के कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए

2025 की ट्रोइका: ब्राज़ील – दक्षिण अफ्रीका – अमेरिका (USA)

संस्थागत संरचना

G20 का **कोई स्थायी मुख्यालय** या स्टाफ नहीं है।

G20 की पूरी **संस्थागत स्मृति** (निम्न पर निर्भर करती है—बदलती हुई वार्षिक अध्यक्षताएँ, ट्रोइका, विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स .

What is the G20?

The Group of Twenty (G20) is the world's premier forum for international economic cooperation. It brings together 19 major economies + European Union + African Union, representing:

- 85% of global GDP
- 75% of global trade
- 2/3rd of global population

Its mandate has evolved from addressing international financial instability to shaping global standards on trade, growth, climate change, health, digital economy, sustainable development, energy transitions, debt sustainability and multilateral governance reform.

In 2025, South Africa hosted the first-ever G20 Summit in Africa, marking a shift toward Global South leadership.

Evolution of the G20

- Born out of the Asian Financial Crisis (1997–98) as a meeting of Finance Ministers & Central Bank Governors (1999).
- Created because the G7 no longer represented the economic weight of emerging economies (China, India, Brazil, South Korea, etc.).
- During the **Global Financial Crisis (GFC) 2008**, the G20 was elevated to Heads of State level.
- The 2008 Washington and 2009 London summits were pivotal for:
  - o global stimulus coordination
  - o banking reforms
  - o preventing investment/trade protectionism

This established the G20 as the **de facto " Steering Committee" of the global economy**.

Membership & Structure

Members: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, UK, USA, EU, AU.
Presidency: Rotates annually among members. Host sets agenda and priorities.
Troika System: Ensures continuity of work through Past–Present–Incoming presidencies.
2025 Troika: Brazil – South Africa – USA

- G20 has no permanent headquarters or staff.
- Entire institutional memory rests on rotating presidencies + Troika + engagement groups.

G20 शिखर सम्मेलन 2025 के मुख्य बिंदु

जोहांसबर्ग लीडर्स' डिक्लेरेशन

122 पैरा का सर्वसम्मत दस्तावेज़, जिसमें शामिल हैं:

- जलवायु कार्रवाई
- बहुपक्षीय सुधार
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन
- लैंगिक समानता
- सतत विकास वित्त
- क्रिटिकल मिनरल्स
- अफ्रीका-केंद्रित विकास दृष्टि

2. उबुन्टू की भावना और बहुपक्षवाद

· "उबुन्टू"—यानी *मैं हूं क्योंकि आप हैं*—ने घोषणा को प्रेरित किया, जिसमें एकजुटता, साझा ज़िम्मेदारी और परस्पर जुड़ाव पर जोर दिया गया।

· नेताओं ने आह्वान किया:

o सहयोगात्मक संघर्ष समाधान

o मजबूत मानवीय सहायता

o समावेशी वैश्विक शासन—ताकि कोई भी क्षेत्र असंगत रूप से प्रभावित न हो

3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सुधार का आग्रह

घोषणा में UNSC सदस्यता विस्तार की मांग की गई, खासकर कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के लिए:

· अफ्रीका

· एशिया-प्रशांत

· लैटिन अमेरिका

साथ ही यह स्वीकार किया गया कि वैश्विक शासन संरचनाएँ 21वीं सदी की वास्तविकताओं को दर्शाएँ।

यह भारत की लंबे समय से चली आ रही सुधार मांग को मजबूत करता है।

4. आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता

· आतंकवाद की "सभी रूपों" में स्पष्ट निंदा।

· यह भारत की परंपरागत बहुपक्षीय स्थिति को प्रतिबिंबित करता है।

6. महिला-नेतृत्वित विकास पर जोर दिया गया:

o संरचनात्मक बाधाओं को हटाने पर

o निर्णय लेने में समान भागीदारी पर

o महिलाओं को शांति की प्रमुख कारक के रूप में पहचानने पर

यह भारत की G20 अध्यक्षता (2023) के *Women-Led Development* फोकस के अनुरूप है।

Key Highlights of the G20 Summit 2025

1. Johannesburg Leaders' Declaration

A **122-paragraph** consensus document covering:

- climate action
- multilateral reform
- supply chain resilience
- gender equity
- sustainable development finance
- critical minerals
- Africa-centric development vision

2. Spirit of Ubuntu & Multilateralism

- "**Ubuntu**"—the idea *I am because you are*—inspired the declaration, stressing solidarity, shared responsibility, and interconnectedness.
- Leaders called for:
  - cooperative conflict resolution
  - stronger humanitarian support
  - inclusive global governancee not disproportionately affected.

3. Push for UNSC Reform

The declaration called for:

- **expansion of UNSC membership**, especially for underrepresented regions:
  - **Africa**
  - **Asia-Pacific**
  - **Latin America**
- Acknowledgement that global governance structures must reflect **21st-century realities**.

This strengthens India's long-standing demand for reforms.

4. Zero Tolerance for Terrorism

- Clear condemnation of terrorism "**in all forms**."
- Reflects India's traditional position at multilateral fora.

6. Women-Led Development

- Emphasis on:
  - removing structural barriers
  - equal participation in decision-making
  - women as agents of peace
- Aligned with India's G20 Presidency (2023) focus on **Women-Led Development**.

8. मिशन 300

विश्व बैंक–अफ्रीकी विकास बैंक (AfDB) की पहल, जिसका उद्देश्य 2030 तक उप-सहारा अफ्रीका के 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है।

9. क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क

G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क को अपनाया गया।

फोकस:

- o जिम्मेदार खनन
- o सतत मूल्य श्रृंखलाएँ
- o विकासशील देशों में स्थानीय प्रसंस्करण (beneficiation)
- o एकल स्रोत पर निर्भरता कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण

10. युवा एवं लैंगिक लक्ष्य

नेल्सन मंडेला बे लक्ष्य:

2030 तक युवाओं की NEET (Not in Education, Employment or Training) आबादी को 5% तक कम करना।

श्रम बल लक्ष्य:

2030 तक 25% जेंडर पैरिटी हासिल करना।

भारत के योगदान — G20 जोहांसबर्ग 2025

i) ड्रग–टेरर नेक्सस का मुकाबला

भारत का प्रस्ताव:

- सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क्स की वैश्विक ट्रैकिंग
- फेंटेनाइल तस्करी पर कड़ी कार्रवाई
- सीमा-स्तरीय समन्वय को मजबूत करना

ii) अफ्रीका-केंद्रित दृष्टि

स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव: 10 लाख अफ्रीकी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण

- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) तक पहुंच
- त्रिकोणीय सहयोग (भारत–अफ्रीका–वैश्विक साझेदार)

iii) स्वास्थ्य एवं ज्ञान कूटनीति — भारत का प्रस्ताव

ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स टीम

- पारंपरिक ज्ञान भंडार (Traditional Knowledge Repository)
- कृषि एवं आपदा प्रबंधन के लिए ओपन सैटेलाइट डेटा प्लेटफॉर्म

8. Mission 300

A World Bank–AfDB initiative to provide electricity to 300 million people in Sub-Saharan Africa by 2030.

9. Critical Minerals Framework

- Adoption of the G20 Critical Minerals Framework.
- Focus on:
  - o responsible mining
  - o sustainable value chains
  - o local beneficiation in developing countries
  - o supply chain diversification away from single-source dependence

10. Youth & Gender Targets

- Nelson Mandela Bay Target:
  Reduce youth NEET population by 5% by 2030.
- Labour Force Goal:
  Achieve 25% gender parity by 2030.

India's Contributions at G20 Johannesburg 2025

i) Countering Drug–Terror Nexus: India's proposed

- global tracking of synthetic drug networks
- tackling fentanyl trafficking
- border coordination

ii) Africa-Centric Vision

- Skills Multiplier Initiative: train 1 million African trainers
- Digital Public Infrastructure access
- Triangular cooperation (India–Africa–Global Partners)

iii) Health & Knowledge Diplomacy: India Proposed

- Global Health Response Team
- Traditional Knowledge Repository
- Open Satellite Data Platform for agriculture & disasters

iv) क्रिटिकल मिनरल्स एवं ऊर्जा

क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलैरिटी इनिशिएटिव
पारदर्शी, लोकतांत्रिक सप्लाई चेन
अर्बन माइनिंग एवं रीसाइक्लिंग को बढ़ावा

v) ग्लोबल AI कॉम्पैक्ट

सिद्धांत:

मानव पर्यवेक्षण
सुरक्षा-आधारित डिजाइन
पारदर्शिता
AI दुरुपयोग पर रोक

भारत 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा।

vi) UNSC सुधार

भारत + अफ्रीका + ग्लोबल साउथ का मजबूत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर जोर
युद्धोत्तर संस्थानों को "पुराना और अन्यायपूर्ण" बताया गया

iv) Critical Minerals & Energy

- Critical Minerals Circularity Initiative
- Transparent, democratic supply chains
- Urban mining & recycling

v) Global AI Compact

Principles:

- human oversight
- safety-by-design
- transparency
- prohibition of AI misuse

India to host **AI Impact Summit 2026**

vi) UNSC Reform

- Strong push for India + Africa + Global South representation
- Called post-war institutions "outdated and unjust"